

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी बाल सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): घरेलू प्रसव

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.1.4.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए घरेलू प्रसव हेतु भी सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है ।

इकाई राशि (रु० में) :500/- प्रति घरेलू प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देश :

घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेज – घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रु० 500/- देय होगा । केवल बी०पी०एल० परिवार के कार्डधारी प्रसूताएँ ही इसका लाभ उठा सकेंगी । प्रसूता को वित्तीय लाभ देने से पूर्व प्रसाविका तीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगी –

- (क) उम्र 19 वर्ष या अधिक होना । (सक्षम अधिकारी)
- (ख) बी०पी०एल० परिवार का प्रमाण-पत्र
- (ग) मृत शिशु के उत्पन्न होने पर भी सहायता पैकेज देय होगा किन्तु केवल दो जीवित जन्मों तक ही लाभ देय होगा ।
- (घ) इस राशि का भुगतान ए०एन०एम० के माध्यम से किया जाएगा साथ ही संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा एवं जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता को 500 रु०/- की राशि देय होगी। जन्म प्रमाण पत्र के प्राप्ति रशिद पर ही 500 रु०/- के भुगतान की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/MCH/15/2007/5032, दिनांक:-21.01.08 (संलग्न)

(ख) SHSB/MCH/81/2009/18732, दिनांक:-26.07.2010(संलग्न)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

Skumar

Jawar



State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, श्रेष्ठपुरा, पटना - 800014
Parivar Kalyan Bhawan, Shresthapura, Patna-800014
Phone: 0642 3298447, 3298448, 2290231, 2290322, 2290328, 2290340
website: www.shsbihar.org, E-mail: info@shsbihar.org



Udai Singh Kumawat, IAS
Executive Director

File No. SHSB/MCH/10/2007

Letter No. 5032 Dated 21.01.08

To,

The District Magistrates &
All Civil Surgeons.

Sub- Regarding Cash Assistance for Home Delivery under the JBSY.

Sir,

Please refer to this office letter no. ED cell /286 dated 21.8.07 regarding payment to mothers for home based deliveries. The provisions in this regard are as follows which are being reiterated:-

- i) Every pregnant women shall be paid a cash assistance of Rs. 500/- per delivery.
- ii) The pregnant women should be aged 19 years and above.
- iii) The assistance shall be given to only BPL Pregnant women.
- iv) Such cash assistance would be available only up to two births.
- v) The disbursement would be done at the time of delivery.


The idea behind the scheme is that the beneficiary should be able to use the cash assistance for her care during delivery or to meet incidental expenditure of delivery. It may be mentioned that in the PUCL 196/2001 the Hon'ble Supreme Court has issued clear instructions to ensure payment to mothers for Home Based Deliveries also. In light of above the following system may be followed to ensure payment to the beneficiaries e.g.:-

- i) Under the Muskan Programme the ANM is scheduled to visit Anganwadi Centers every Friday. Directions have been given to give incentive money to ANM on her visits to Anganwadi Centers on Friday so that she can distribute the incentive under Muskan Programme to Anganwadi worker/ASHA. For payments to mothers for Home Based Delivery it may be ensured that ANM is given an Additional amount of Rs. 500/- from JSY (JBSY) funds. The ANM shall go to the Anganwadi Centers and pay to any mother who has undergone a Home Delivery in the previous month. ASHA/Anganwadi Sewika shall help the ANM identify the mother and call her to Anganwadi Centre to enable the mother to get Rs. 500/- from the ANM.

(skumar)

skumar

0



State Health Society, Bihar राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org



(2)


- ii) The ANM shall maintain a register for payment for Home Based Delivery. In this register the ANM shall take the receiving in the form of Signature or the Thumb Impression of the beneficiaries to whom Rs. 500/- are paid. The ANM shall also invariably record the house number of the beneficiaries as mentioned in the mothers survey register kept at Anganwadi Centre in this register maintained by her.


Necessary instructions may be issued for implementation for the above immediately.


Yours Sincerely


(Udai Singh Kumawat)



Skumar






State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org



संजय कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:-SHSB/MCH/81/2009/18782

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन
बिहार ।

पटना, दिनांक:-26/07/2010

विषय:- जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत घरेलू प्रसव हेतु नगद भुगतान के संबंध में ।

महाशय/महाशया

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि हाल में भारत सरकार की तरफ से JRM टीम ने खगड़िया एवं गया जिला का भ्रमण किया । क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि घरेलू प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया जा रहा है । इस संदर्भ में वर्ष 2009-10 में जिलावार घरेलू प्रसव का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न किया जाता है । राज्य के 38 में से 35 जिलों की प्रगति शून्य है तथा 3 जिलों में नाकाफी है । घरेलू प्रसव हेतु दिशा निर्देश सभी सिविल सर्जन को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक:-SHSB/MCH/15/2007/5032, दिनांक:-21.01.08 द्वारा दी जा चुकी है (प्रतिलिपि संलग्न)। पत्र द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों को अनुपालन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाना है -


1. प्रत्येक घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रु० 500/- महिला लाभार्थी को देय होगा ।
2. महिला लाभार्थी का उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से ज्यादा हो ।(सक्षम प्राधिकारी)
3. यह सुविधा केवल बी०पी०एल० कार्डधारी महिला को देय है ।
4. यह राशि केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय है ।
5. प्रसव के समय राशि का भुगतान देय है ।


इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक गर्भवती महिला प्रसव हेतु आकस्मिक व्यय एवं अपनी देखभाल को पूरा कर सके । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा PUCL 196/2001 में यह स्पष्ट किया गया है कि घर में हुए प्रसव के लिए माताओं को घरेलू प्रसव हेतु भुगतान किया जाना है । उपर्युक्त तथ्य के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान हेतु प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित करें ।

1. इस राशि का भुगतान ए०एन०एम० के माध्यम से किया जाए । साथ ही संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा एवं जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता को 500 रु०/- की राशि देय होगी । जन्म प्रमाण पत्र के प्राप्ति रशीद पर ही 500 रु०/- के भुगतान की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाए । यह बात ध्यान में रखा जाए कि ANM को अतिरिक्त राशि JBSY मद से माताओं को घरेलू प्रसव हेतु रु०500/- देय है । मुस्कान कार्यक्रम के तहत हर शुक्रवार को ANM द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी भुगतान किया जा सकता है ।
2. घरेलू प्रसव हेतु ANM द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर एवं हाउस न० अंकित कर एवं उपर्युक्त पाँचों बिन्दुओं को सुनिश्चित कर ही भुगतान किया जाना है ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)



SI. NO.	District	A.1.4.1
		Exp. In Home Deliveries as per FMR submitted by district.of 2009-10(Rs.in lakh)
1	Araria	0.00
2	Arwal	0.00
3	Aurangabad	0.00
4	Banka	0.06
5	Begusarai	0.00
6	Bhagalpur	0.00
7	Bhojpur	0.00
8	Buxar	0.00
9	Champaran-E	0.00
10	Champaran-W	0.00
11	Darbhanga	0.00
12	Gaya	0.22
13	Gopalganj	0.00
14	Jahanabad	0.00
15	Jamui	0.00
16	Kaimur	0.00
17	Katihar	0.00
18	Khagaria	0.00
19	Kishanganj	0.00
20	Lakhisarai	0.00
21	Madhepura	0.00
22	Madhubani	0.00
23	Munger	0.00
24	Muzaffarpur	0.08
25	Nalanda	0.00
26	Nawada	0.00
27	Patna	0.00
28	Purnia	0.00
29	Rohtas	0.00
30	Saharsa	0.00
31	Samastipur	0.00
32	Saran	0.00
33	Sheikhpura	0.00
34	Sheohar	0.00
35	Sitamarhi	0.00
36	Siwan	0.00
37	Supaul	0.00
38	Vaishali	0.00
Total		0.36

26/9/10